न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/174/2013 तारीख रजु 01.10.2013

उनवान

रूपसिंह पुत्र धुंधी उर्फ धुन्धा जाति गुर्जर निवासी तुलसीपुरा तहसील हिण्डोन जिला करौली।

————वादी

बनाम

स्वरूपचंद पुत्र जयशिव प्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी छीपीपाडा तहसील हिण्डोन जिला करौली।

———प्रतिवादीगण (03)

उपस्थितिः–

वादीगण की ओर से :– श्री रामदयाल गुप्ता एडवोकेट।
प्रतिवादीगण की ओर से :–श्री श्यामलाल शर्मा एडवोकेट।

निर्णय

दिनांक–11.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा कस्बा हिण्डौन , तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 4640, 4642 के संबंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार–बार आवाज दिलाने के उपरांत भी वादी पक्ष अनुपस्थित है ।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 174/2013 रूपसिंह बनाम स्वरूपचंद अदम हाजरी एव अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.08.07 15:24:30 IST
Reason: SelfAttested